

फर्द अहकाम

(नियम 13)

14

GCMS
2020/00014
07/01/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री

श्री

हलका निबलकोट

पुत्र श्री

हेम



जाति

सांसी

निवासी-

निबलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 14 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका निबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निबलकोट के खसरा नंबर 348 रकबा 1500 ब.फी. किस्म भूमि गैर सायल पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली भाग पेश हुई गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित गैर सायल ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गैर सायल के एक और झवतार डिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	 <p>श्री</p>  <p>प. निबलकोट</p>

13-8-2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैर साक्ष्य अनुपस्थित।
पटवारी हल्का अनुपस्थित। पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैर साक्ष्य
अनुपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित।
गैर साक्ष्य को प्रतिक्रिया द्योषित करते
हुए पत्रावली फेसल सुनार है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शीघ्र
पत्रावली है। निर्णय सुले-प्राभाषण के
सुनाला जाल। पत्रावली फेसल सुनार
है कर दारिद्र्य दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

प गनिम्वल डोर